

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2082
दिनांक 01 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सामाजिक सुरक्षा

2082. श्री यूसुफ पठान :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) के उत्थान और विकास के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने से संबंधित मांग अनुरोध प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग को पूरा करने और इन कार्यकर्ताओं के विकास के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को अतिरिक्त सहायतानुदान जारी करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग) मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र सरकार नीति और आयोजना के लिए ज़िम्मेदार है और राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन दिन-प्रतिदिन के कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए ज़िम्मेदार हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाएं (एडब्ल्यूएच) स्थानीय समुदाय की "मानद कार्यकर्ता" हैं जो समुदाय की मदद के लिए बाल देखभाल और विकास के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने के लिए स्वेच्छा से आगे आती हैं जिसके लिए उन्हें मानदेय दिया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को मानदेय दिया जाता है, जिसे समय-

समय पर बढ़ाया जाता है। दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 से, भारत सरकार ने केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच परिभाषित लागत साझाकरण अनुपात के अनुसार मुख्य-आंगनवाड़ी केंद्रों की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 3,000/- रुपये से बढ़ाकर 4,500/- रुपये प्रति माह; लघु-आंगनवाड़ी केंद्रों की कार्यकर्त्रियों का मानदेय 2,250/- रुपये से बढ़ाकर 3,500/- रुपये प्रति माह; आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 1,500/- रुपये से बढ़ाकर 2,250/- रुपये प्रति माह कर दिया है।

इसके अतिरिक्त, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 500/- रुपये प्रति माह तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 250/- रुपये प्रति माह का निष्पादन-से जुड़ा प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने स्वयं के संसाधनों से इन कार्यकर्त्रियों को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन/मानदेय भी दे रहे हैं जो हर राज्य में अलग-अलग है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को कुशल निगरानी और सेवा प्रदायगी के लिए स्मार्टफोन प्रदान करके तकनीकी रूप से सशक्त बनाया गया है। पोषण ट्रैकर एक मोबाइल फ़ोन एप्लिकेशन है, इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले भौतिक रजिस्ट्रों को डिजिटल बनाया है। इससे उनके कार्य की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और साथ ही वे आंगनवाड़ी में चल रही सभी गतिविधियों की तत्समय समय निगरानी कर पाती हैं।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित विभिन्न पहल की गई हैं जिनमें:

- i. पदोन्नति: मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के 50% पद 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त आंगनवाड़ी सहायिकाओं द्वारा भरे जाएंगे और पर्यवेक्षकों के 50% पद अन्य मानदंडों को पूरा करने के अधीन 5 वर्ष के अनुभव प्राप्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे।

- ii. अवकाश: 20 दिन का वार्षिक अवकाश और 180 दिनों का सवेतन मातृत्व अवकाश, गर्भपात/गर्भस्राव होने पर एक बार 45 दिनों का सवेतन अवकाश।
- iii. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना के तहत स्वयं का नामांकन कराने हेतु प्रोत्साहित करें। यह योजना देश में असंगठित क्षेत्रों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।
- iv. सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं: 18 से 50 वर्ष की आयु की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई) के तहत (किसी भी कारण से जीवन को जोखिम, मृत्यु शामिल है) के लिए 2.00 लाख रुपये के जीवन बीमा का लाभ प्रदान किया गया है। 18-59 वर्ष की आयु की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2.00 लाख रुपये (आकस्मिक मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता)/1.00 लाख रुपये (आंशिक लेकिन स्थायी विकलांगता) का दुर्घटना कवर प्रदान किया गया है।
- v. सेवानिवृत्ति की तारीख: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे उचित मानव संसाधन नियोजन सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के संबंध में सेवानिवृत्ति की तारीख यानी प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल को अपनाएं।
- vi. वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में की गई घोषणा के अनुसरण में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेवाई) के तहत 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज दिया गया है।
